

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दाढ़िमखोला से सकनियाकोट लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.455 है 0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम (1)तिलारा (2)सकनियाकोट।
तहसील-सोमेश्वर, जिला-अल्मोड़ा।

जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत दाढ़िमखोला से सकनियाकोट लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 0.000 है 0 सिविल सोयम भूमि 0.455 है 0, वन पंचायत भूमि 0.000 है 0, कुल 0.455 है 0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत (1)तिलारा (2)सकनियाकोट द्वारा सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम (1)तिलारा (2)सकनियाकोट के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी की परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत का सदस्य
ग्राम सचिव (अधिकारी)
दिन २०-८ दिसंबर २०१८ (वनभूमि)

मैतृदली
प्रधान
ग्राम पंचायत तिलारा
दिन २०-८ दिसंबर २०१८ (वनभूमि)

ग्राम ग्राम्यप्रधान कनियाकोट
दिन २०-८ दिसंबर २०१८ (अल्मोड़ा)

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्त एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम:-जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अन्तर्गत दाढ़िमखोला से सकनियाकोट लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.455 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

कार्यालय उप जिलाधिकारी सोमेश्वर
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, अल्मोड़ा

उपखण्ड हवलबाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत दाढ़िमखोला से सकनियाकोट लिंक मोटर मार्ग (0.000 है० आरक्षित वनभूमि, 0.455 है० सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.000 है० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.455 है० वनभूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सोमेश्वर) की दिनांक-16/01/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विवेक राय उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री विवेक राय उपजिलाधिकारी अल्मोड़ा अध्यक्ष। *उप जिलाधिकारी अल्मोड़ा*
2- श्री. ~~प्रभागीय वनाधिकारी~~ उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य। ~~प्रभागीय वनाधिकारी~~
3- श्री. *Shivendra Landey* सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य। *अल्मोड़ा जिले के प्रभाग, अल्मोड़ा*
4- श्रीमती. *कला देवी* बी०डी०सी० क्षेत्र *सर्वसम्मति कर्ता देवी* सदस्य। *दृष्टि विवेक*

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अन्तर्गत दाढ़िमखोला से सकनियाकोट लिंक मोटर मार्ग हेतु 0.455 है० वनभूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत दाढ़िमखोला से सकनियाकोट लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.455 है० वनभूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

19.01.19

उपाजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीर वनभूमि कार समिति
तहसील—सोमेश्वर
जनपद—अल्मोड़ा

प्रतिलिपि— जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

19.01.19

उपाजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीर वनभूमि कार समिति
तहसील—सोमेश्वर
जनपद—अल्मोड़ा

प्रपत्र-23.1

दिनांक / / 2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत का नाम (1)तिलारा (2)सकनियाकोट।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	नारायण सिंह	नारायण
2	दीपाल सिंह	दीपाल
3	वंच सिंह	वंच
4	शोपाल राम	शोपाल
5	ज्ञान सिंह	ज्ञान
6	ज्येष्ठ सिंह	ज्येष्ठ
7	शोपाल सिंह	शोपाल
8	मोहित राम	मोहित राम
9	कुमार सिंह	कुमार
10	सुरेन राम	सुरेन राम
11	चतुर सिंह	चतुर
12	बसन्त सिंह	बसन्त
13	माहुन सिंह	माहुन
14	गणेश राम	गणेश
15	मोहन राम	मोहन राम
16	सही राम	सही राम
17	भूपाल सिंह	भूपाल
18	राम सिंह	राम
19	राम सिंह	राम
20	दलन सिंह	दलन
21	दीपाल सिंह	दीपाल
22	ज्योति	ज्योति
23	दीप सिंह	दीप
24	लोलाल राम	लोलाल राम
25	सूप राम	सूप राम
26	राज सिंह	राज सिंह
27	जगद्दर राम	जगद्दर
28		

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत सकनियाकोट
लो. १०८, तिलारा, अल्मोड़ा।

प्रधान
ग्राम पंचायत तिलारा
लो. १०८, हवालवारा
तिलारा - अल्मोड़ा।

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Almora

Office of the District Collector

No--

Dated- / / 2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.455** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Rural road Development Dept. Uttarakhand** for **Construction of Darimkhola to Skaniyakot Link motor Road** in **Almora** district falls within jurisdiction of **Tilara, Sakaniyakot** villages in **Someswar** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.455** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

विद्या रमाय कर्याण विविधारी
अल्मोड़ा

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

दिला विधिकारी अल्मोड़ा

FORM-II
(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand
Almora

Office of the District Collector
Almora

No--
/2019

Dated-- /

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **0.455** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Rural road Development Dept. Uttarakhand** for **Construction of Darimkhola To Skaniyakot Link Motor Road** in Almora district falls within jurisdiction of **Tilara, Sakaniyakot** villages in **Someswar** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.455** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of **Tilara and Skaniyakot** villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

तिलारा समर्पण कल्याण वादकारी
समिति

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

तिलारा विधिकारी अल्मोड़ा.

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Almora (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.


A meeting of the district level committee of **Almora** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr Nitin Singh Bhadoria** I.A.S deputy commissioner, on dated at time at Almora in which the application claiming rights in mail area measuring **0.455 hect** for the **Construction of Darimkhola to Sakaniyakot Link Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Almora** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place-Almora

Dated- / /2019


दिल्ला समाज संवर्धन संशिकारी
संस्थान


Dputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe
दिल्ला संविकारी समाज